



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिक से छेड़खानी करने वाले 02 अभियुक्तों को क्रमशः 05 वर्ष, 03 वर्ष के कठोर कारावास व ₹16,000 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मौदहा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 373/2015 धारा-376,511,504,506 भा0द0सं0 व 10 पॉक्सो एक्ट व 3(1)10,3(2)5 एससीएसटी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1. राजकुमार पुत्र रामकिशुन 2.रामकिशुन पुत्र छविलाल नि0गण पश्चिमी तरौस कस्बा व थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुये क्रमशः 05 वर्ष, 03 वर्ष के कठोर कारावास व ₹16,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री रुद्र प्रताप
सिंह



विवेचक-
क्षेत्राधिकारी यशवीर
सिंह



पैरोकार- थाना मौदहा
का0 शुभम यादव